

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

लय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

नाम..... बनाम..... जगदीश
 क्रमा..... ज. पत्र टी. आर्. मुकदमा नं. ५३ सन् 2018

क्रम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>05⁰⁷/₁₈ बकील अर्पीगण श्री राजेश चेंबर ने हाजिर अदालत होकर ज. पत्र टी. आर्. पेश किया। अर्पिता पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे लिये पर बहस बकील अर्पीगण एक पक्षिय सुनी गई। बहस बकील अर्पीगण पर सगोर मतन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रकॉर्ड का अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से एवं बहस बकील अर्पीगण से अर्पीगण जो अन्तिम टी. आर्. से पाबन्द किया जाना न्याय संगत उतीत होता है।</p> <p>उक्त: अर्पीगण को अगामी तारीख पेशी तक जरिमे अत्यर्हि निवेद्याहा पाबन्द किया जाता है कि आप वादवास्त आराजी ख. नं. - 1667/2, 1668 लम्बा 0.34 है. व ख. नं. 1667/1 लम्बा 0.34 है. तन ग्राम चलीपुरा प. ह. कांबट तहसील खण्डेला का क्षेत्र/हस्तांतरण नहीं करें। विधि विज्ञ विद्युत संबंध विच्छेद नहीं करें। ये आदेश एस्ते के संबंध में उभावी नहीं होंगे। अर्पीगण को उक्त आदेश उल्लेखित कर सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 03/08/2018 को पेश हो। अर्पीगण 0.39 1.03 CPC की पालना करें।</p>	<p>6096-6102 6-7-18</p>

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

03/18

पतावली के हुक्म परीक्षण
पत्र/समुच्चयन की तारीख उक्तिवाही की
/अनुसंधान में कार्यवाही अग्रिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 21-8-18
को पत्र दे।

21/18

पतावली के हुक्म परीक्षण
पत्र/समुच्चयन की तारीख उक्तिवाही की
/अनुसंधान में कार्यवाही अग्रिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 10-9-18
को पत्र दे।

10/18

पतावली के हुक्म परीक्षण
पत्र/समुच्चयन की तारीख उक्तिवाही की
/अनुसंधान में कार्यवाही अग्रिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 27-09-18
को पत्र दे।

27/18

पतावली के हुक्म परीक्षण
पत्र/समुच्चयन की तारीख उक्तिवाही की
/अनुसंधान में कार्यवाही अग्रिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 17-12-18
को पत्र दे।

17/18

पतावली के हुक्म परीक्षण
पत्र/समुच्चयन की तारीख उक्तिवाही की
/अनुसंधान में कार्यवाही अग्रिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 25-02-19
को पत्र दे।

02/19

पकीस प्रार्थी द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र मिलान तलबी
स्वीकार किया जाने पर पतावली द्वारा निम्न तारीख
पेवरी से तलबी की जाऊं आज पेवरी के प्रति प्रा
पत्र की आर्द्र से संबंधित मूल कादपत्र आज किरा
किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्राण फर की आर्द्र
में आवे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। आ: अफिदी
प्रकरण इसी स्तर पर D पर फर जारी है। पतावली
कैसल कुमार होकर नम्बर से उत्र हो तब शप
तकमील गखिल पत्र दे। निम्न प्रले न्यायलय
में सुनाया गया।



उपलब्ध प्रार्थना
अपेक्षित (सुनवाई)